न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2021-455 RAAJodhpur2021-152 RTA223 Parwatsingh ors Vs Papukanwar etc

1. पर्वतसिंह पुत्र उदयसिंह
2. भवानीसिंह पुत्र उदयसिंह
3. शेखरसिंह पुत्र उदयसिंह
4. चन्दूकंवर पुत्री संतोषकंवर
5. शोभाकंवर पुत्री संतोषकंवर
6. समताकंवर पुत्री संतोषकंवर
7. जीतूकंवर पुत्री संतोषकवंर

सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण– उदट, तहसील बाप, जिला फलोदी।

—— अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. पपुकंवर पुत्री उदयसिंह
2. संतोषकंवर पुत्री उदयसिंह
3. मोहनसिंह पुत्र उदयसिंह
4. उदयसिंह पुत्र लिछमणसिंह

सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण– ग्राम उदट, तहसील बाप, जिला फलोदी।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर।

—— रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा दिनांक 03 फरवरी 1993 राजस्व मूल वाद संख्या 82/1992 पपूकंवर व अन्य बनाम उदयसिंह इत्यादि

—— 0 ——

उपस्थित –

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या 05

नि र्ण य

दिनांक : 17 फरवरी 2025

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 82/1992 अनवान पपूकंवर व अन्य बनाम उदयसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03 फरवरी 1993 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 20 दिसंबर 2021 को पेश की गयी है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अपील करने अनुमति प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट्स द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 53 के तहत एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं विभाजन का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 86मी रकबा 123.09 बीघा, खसरा नं. 29मी रकबा 188 बीघा 12 बिस्वा ग्राम उदट तहसील फलोदी के संबंध में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03 फरवरी 1993 के जरिये वादीगण का वाद जरिये राजीनामा स्वीकार कर लिया, जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति करने अपील पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है, जिसमें अपीलांट्स का जन्म से ही अधिकार निहित है। इस कारण अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है एवं अपील पेश करने का उन्हें कानूनी अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में अपने पुश्तैनी हिस्से पर अपीलांट्स का निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण द्वारा अपीलांट्स को मूल वाद में पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किय बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करवाये जाने से अपीलांट्स को आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। हाल ही में रेस्पोडेंट संख्या तीन मोहनसिंह द्वारा अपीलार्थीगण को पैतृक भूमि से बेदखल करने की धमकी दी गई, तब अपीलार्थी ने पूछा तो बताया कि उक्त खसरों में आपका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हमने न्यायालय से डिक्री प्राप्त रखी है। तब अपीलांट्स द्वारा रेकर्ड शाखा जोधपुर में दिनांक 15.12.2021 को नकल हेतु आवेदन किया जो दिनांक 16.12.2021 को नकल प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की प्रथम बार जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट्स को आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांट्स द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जावे।

गुणावगुण पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट्स उदयसिंह के प्रथम श्रेणी वारिसान् है। वादीगण/रेस्पोडेंट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित किये बिना ही जरिये राजीनामा वाद का निस्तारण करवा दिया। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने उदयसिंह की वंशावली प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उदयसिंह के चार पुत्र मोहनसिंह, पर्वतसिंह, भवानीसिंह एवं शेखरसिंह है तथा छः पुत्रियॉ संतोषकंवर, जितूकंवर, समताकंवर, चन्दूकंवर एवं सोभाकंवर है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने से अपीलार्थीगण का भी वादग्रस्त आराजी में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हक–हिस्सा होने से उन्हें भी पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। वादीगण द्वारा जानबूझकर अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा प्रतिवादी उदयसिंह द्वारा भी अपीलांट्स को पुश्तैनी भूमि के पैतृक हिस्से से बाहर रखते हुए राजीनामा प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं अपने बीच में बंटवाड़ा करवा लिया। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03 फरवरी 1993 को अपास्त फरमाया जावे एवं मामला उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिनुसार निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिले का आद्योपांत गहन मनन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति करने अपील का निस्तारण किया जाना उचित है। उपलब्ध अभिलेख एवं कार्यालय ग्राम पंचायत उदट द्वारा जारी सजरा खानदान के अनुसार अपीलांट्स स्व. उदयसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह के पुत्र/वारिसान् है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स की पुश्तैनी भूमि होने से अपीलांट हस्तगत मामले में प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार होने से अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी ठहरते है। लिहाजा प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति करने अपील स्वीकार किया जाता है एवं अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, अपीलांट्स विचारण न्यायालय में पक्षकार संयोजित न होने से उन्हें अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी समय पर न होना स्वाभाविक है। न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता है कि वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को अपनी पुश्तैनी भूमि बताते हुए वाद प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार फलोदी द्वारा अपने जवाब में कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि की मिसल बंदोबस्त में खाता संख्या 112 में दर्ज आराजी खसरा नं. 29 रकबा 557.03 बीघा, खसरा नं. 86 रकबा 246.18 बीघा लक्ष्मणसिंह वल्द जेठमलसिंह कौम राजपूत के नाम दर्ज हुई है। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में भी वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी होना स्वीकार किया गया है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने से अपीलांट्स का वादग्रस्त आराजी में जन्म से ही हक–हिस्सा व अधिकार निहित है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि–विरूद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 82/1992 अनवान पपूकंवर व अन्य बनाम उदयसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री दिनांक 03 फरवरी 1993 निरस्त किये जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत प्रतिवादीगण/अपीलांट्स को जवाब प्रस्तुति का अवसर प्रदान करते हुए वाद एवं जवाब के आधार पर मामले में तनकीयात कायम पर उस पर उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत मामले का विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर